श्री ललित नारायण मिश्र : दोनों बातें गलत हैं। प्राइम मिनिस्टर साहबा ने बहुतों का विभाग परिवर्तन किया, मेरा भी परिवर्तन किया। न मैं प्रधान मंत्री महोदया से मिला, न कोई बात हुई, न चर्चा हुई। किसी ने चर्चा नही की और न हमने किसी से चर्चा की। छोटा आदमी अवश्य हूँ लेकिन मुझमें भी स्वाभीमान हो सकता है। ऐसी बातें नहीं उठानी चाहियें।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, एक सफायी मैं चाहता हूँ। हमको कैसे मालूम होगा कि हमारे मित्र ललित नारायण को 10 करोड़ रु० मिला। ये कहते हैं हमको जितना मिला उसका आधा तुमको दे दूंगा...

श्री उपसभापति : जब मिलेगा तब देखा जायेगा। बैठ जाइय। 2 बज कर 10 मिनट हो गए। बहुत टाइम ले चुके हैं।

श्री राजनारायण : अगर मैं उनकी बात का जवाब न दूं, तो वह समझेंगे मैं उनको नगण्य समझता हूं।

श्री उपसभापति : उसका जबाब देने की क्या जरूरत है। बेकार समय ले रहे हैं।

श्री राजनारायण : कई करोड़ का मामला है। मैं चाहता हूं, आप पंच बन जाइये। आप पंच बन जाइये और ललित नारायण जी का जितना अकाउन्ट है, आज से वह सब जांच कीजिएगा। मैं यह भी कहता हूं, यह हमको जो कुछ भी देंगे, इस सदन के सम्मानित सदस्यों को और यहां के गरीब लोगों को, विद्यार्थियों को, बांट दूंगा।

श्री उपसभापति : ठीक है, बैठ जाइये।

REFERENCE TO DHARNA BY MEMBERS OF PARLIAMENT FROM ORISSA AND MEMBERS OF ORISSA STATE LAGISLATURE FOR ESTABLISHMENT OF A SECOND STEEL PLANT IN ORISSA

SHRI MUI.KA GOVJNDA REDDY (Mysore) : Sir, with your permission I would like to draw the intention of this House and the Government to the fact that twenty Member* of Parliament from Orjssa and thirty or forty Members of the Legislature of Orissa are now performing a dharna before the residence of the Prime Minister to press for establishinf a second steel plant in Orissa. The people of Orissa are very much agitated over this. The Government of India are showing callousness in not announcing their decision *to* start or *to* establish a second steel plant in Orissa. Only two or three months back entire State of Orissa was in flamees. Therefore, it is not proper and politic on the part of the Government of India to delay their decision to establish a second steel plant. I demand that the Government of India should come forwara to make a statement immediately, thi» afternoor. so that the wishes of the peolple of Orissa may be fulfilled.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : Why should they offer dnarna? They should take over the powers of commerce, trade and industry from the Central Government ana themselves sst up a steel plant there.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् मैंने प्रश्नों के समय भी सवाल उठाया था जो मुल्का गोविन्द रेड्डी ने उठाया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House adjourns till 3 p. m.

The House then adjourned, for lunch at ten mvnvtes past two of the Clock.

Tne House reassembled after lunch at Three of the Clock, MR. DEPOT* CHAIRMAN in the Chair.

RE USE OF HINDI IN THE SUPREME COURT

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : मैं आपकी आज्ञा से एक बहुत ही राष्ट्रीय महत्व प्रश्न की ओर सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन् मैं 22 अगस्त से 27 सितम्बर तक तिहाड़ जेल में बन्द था।

श्री उपसभापति : आप किस बात पर बोल रहे है।

श्री राजनारायण : मैं विशेषाधिकार के प्रश्न पर बोल रहा हूं। (*Interruptions*)

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको सुनने की कष्ट कीजिये ।

श्री उपसभापति : लिखकर भेज दीजिये ।

श्री राजनारायण : हमने लिखकर भी भेज दिया है । श्रीमन्, 27 तारीख को हम सर्वोच्च न्यायालय के सामने उपस्थित हुए । सर्वोच्च न्यायालय को मैंने निवेदन किया कि मैं अपने मुकदमें की हकीकत को अंग्रेजी में नहीं कह सकता हूं और अपने मुकदमें की हकीकत मैं ही जानता हूं । मैं अपने मुकदमें की पैरवी खुद करूंगा इसलिए मुझे मादरी जबान में बोलने दिया जाय । इस पर काफी बहस हुई और बहस होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों ने एक आदेश दिया जिसको मैं पढ़ देना चाहता हूं :

> Upon hearing the petitioner for a while, the Court adjourned the hearing of his petition till a fresh Bench is constituted to hear the same. Th's matter need noc be shown in tomorrow's list and the petitioner need not be produced in the Court on 28-8-70.

27 तारीख को उन्होंने यह आर्डर दिया कि श्री राजनारायण को थोड़ी देर सुनने के बाद यह बेंच इस नतीजे पर पहुंची है कि उनका केस स्थगित किया जाय और 28 तारीख को अदालत में न रखा जाय । उनके मुकदमें को सुनने के लिए दूसरी बेंच बनेगी और उस में यह लिया जायेगा ।

श्रीमन्, मैं 28 तारीख से जेल में पड़ा हूं । मैं 9 सितम्बर को आता हूं सर्वोच्च न्यायालय में, तो श्याम को आधा घंटा-पौन घंटा जो भी होगा हमने अपनी मातृभाषा में अपनी बात कही । 10 तारीख को एकाएक जब सर्वोच्च न्यायालय की बेंच बैठती है, तो बेंच यह कहती कि श्री राजनारायण आपके सामने तीन विकल्प हैं आप या तो अंग्रेजी में बोले या अपने एडवोकेट के जरिए से बहस करें या हमको अंग्रेजी में लिखकर दे दो । हमने कहा हमारे जो सर्वोच्च पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट तो उस पार्लियामेंट की भी दो भाषाएं है एक भाषा हिन्दी है एक भाषा अंग्रेजी है ।

श्री उपसभापति : ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, सुन लीजिए । इसलिए पार्लियामेंट की जो भाषा मान्य है कानून में हिन्दी और अंग्रेजी उसमें बोलने न देना यह पार्लियामेंट का अवमान है । संसद इस देश की सर्वोच्च जन-प्रतिनिधि संस्था है, संसद की भाषा को जो कानून की निगाह में मान्य है इसमें इस देश के अन्दर किसी कोर्ट द्वारा न बोलने दिया जाना हम समझते है कि संसद का अवमान है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सवाल को विशेषाधिकार समिति में भेजे क्योंकि जो संसद की भाषा है उस भाषा में एक्यूज्ड को न बोलने देना एक हास्यास्पद चीज है ।

श्री उपसभापति : काफी हो गया है ।

श्री राजनारायण : सुन लीजिए । जज ने कहा कि राजनारायण जी कोई हर्ज नहीं है, हमने बंगला भी सुना है । जो गिरि साहब का पिटीशन था जितने कांग्रेस "आर" के लोग आए है, कमलापति त्रिपाठी जी का बयान भी हिन्दी में हुआ है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे साथ यह विशेषता क्यों । हम एक्यूज्ड है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अंग्रेजी में लिखे, उस पर हमको एतराज नहीं है 348 जब तक है लेकिन किसी एक्यूज्ड को अपनी बात उसकी भाषा में न कहने देना पूर्णरूपेन अन्याय है । तो मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई ऐसी व्यवस्था निकाले जिससे सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया पर एक दिन सदन में विचार हो ।

श्री उपसभापति : आप बैठिए, काफी समय हो गया है ।

श्री राजनारायण : हम इतनी देर में खत्म कर लेते । हम इधर-उधर की बात नहीं कर रहे हैं । एक महीना पांच दिन हमको जेल में रखा गया ।

[श्री राजनारायण]

हमारा दूसरा पाइंट है। जानबूझकर सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानित जजों ने हमको हमारे सदन के अधिकार से वंचित किया, सदन में नहीं आने दिया क्योंकि हमारी गिरफ्तारी बिलकुल अवैध है, 5 मिनट में सारी बात होती, 117(3) की कार्यवाही नहीं हुई। गवर्नमेंट के एडवोकेट ने कहा कि राजनारायण के विरुद्ध हमने जो कार्यवाही की वह कानून से नहीं की हम छूट गए होते लेकिन इन्होंने कहा कि हम एक नया बेंच बनाएंगे, नए बेंच में मुकदमा करेंगे। यह भाषा की मान्यता का प्रश्न है और इस मान्यता के प्रश्न को लेकर हम जेल काट गए, इस सदन की सेवा से वंचित रहे। इसलिए हमारा आरोप है—सर्वोच्च न्यायालय के जजों पर कि उन्होंने कांस्पिरेसी की इंदिरा गवर्नमेंट से मिल कर क्योंकि उस समय संसद में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उठ रही थीं, उन्होंने सोचा कि इसी बहाने राजनारायण को जेल में बन्द रखो और वह इसी आशा में अटके रहेंगे कि एक नया बेंच बने नया कोर्ट होगा और नए कोर्ट में जाकर वे अपनी बात कहेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय सी० आर० पी० सी० और आई० पी० सी० का कांस्टीट्यूशन में क्या भाष्य करता है। जहां प्रापर्टी का सवाल आता है वहां सर्वोच्च न्यायालय उसका उल्टा भाष्य करता है। वह लिबर्टी और प्रापर्टी को दो नुक्तेनजर से देख रहा है।

श्री उपसभापति : अब आप बैठिए।

श्री राजनारायण : सुन लीजिए।

श्री उपसभापति : आपने दस मिनट बोला, आपने कहा था कि केवल दो मिनट बोलेंगे।

श्री राजनारायण : जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं, तो मुझे टोका न जाय। हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्री उपसभापति : कैसे पूरा नहीं हुआ है, जो कहना चाहते हैं कह दिया।

श्री राजनारायण : मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं सरकार से पूछ रहा हूं। प्रिवी पर्स का मामला है वहां पर।

श्री उपसभापति : उससे क्या मतलब है ?

श्री राजनारायण : इस तरह से अदालतें नहीं चलेंगी, अदालतों पर धरना होगा, अदालतें ध्वंस की जाएंगी। मैं गांधी जी का एक उद्धारण देना चाहता हूं। गांधी जी ने लिखा है अदालतों के बारे में कि ये अदालतों जिनके पास शक्ति है, प्रभुताई है वे अपनी शक्ति को कायम रखने के लिए अदालतों का इस्तेमाल करते है। यह गांधी जी का वाक्य है जो हमने लिख कर कोर्ट को भेजा था। प्रिवी पर्स के बारे में मामला चल रहा है और यहां मुकदमा स्थगित हो गया, वे चले गये। काहे को ? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश उस बेंच की कार्यवाही को छोड़कर लन्दन के किसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए क्यों गए ? मेरा यह प्रश्न है। इतना बड़ा प्रश्न उठा हुआ है। तमाम लोगों की जिंदगी का सवाल है। सब सोच रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला होता है। लेकिन कह दिया गया कि कार्रवाई स्थगित। पता नहीं कब तक वे बाहर रहेंगे और कब वहां से वापस आयेंगे। आजकल यह जज लोग . . .

श्री उपसभापति : राजनारायण जी, अब आप बैठिए।

श्री राजनारायण : हम को यह भी बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश को कोई बीमारी है और वे उस बीमारी का इलाज कराने इस बहाने चले गये हैं। आप देखें कि जजों के अन्दर इस समय घूमने और कमाने की कितनी इच्छा बढ़ती चली जा रही है।

श्री उपसभापति : अब आप बैठिए।

श्री राजनारायण : हां, मैं बैठ रहा हूं, लेकिन आप व्यवस्था दें कि हमारा जो प्रिविलेज का

सवाल है वह प्रिविलेज का सवाल कब उठेगा। जजों ने जानबूझ कर मुझ को जेल में रखने के लिये आर्डर किया कि नया बेंच बनेगा, मगर उस आर्डर के रहते हुये उन्होंने हमको अपनी मातृभाषा में, हिन्दी में बोलने नहीं दिया और अंग्रेजी में बोलने पर विवश किया, ि ो हमने ारा और तीन दिन तक हमने ् ड़ताल ... इस बेहुदा आदेश के विरोध में।

श्री उपसभापति : ठीक है, अब आप बैठिये। यह तरीका नहीं है काम चलाने का।

श्री राजनारायण : 12 अक्तूबर को सर्वोच्च न्यायालय पर प्रदर्शन किया गया और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई और आप कहते हैं कि हम राज्य सभा के सदस्य होते हुए भी इस मामले पर बोले ही नहीं।

श्री उपसभापति : अब आप बैठ जाइय।

श्री राजनारायण : आप हमें रास्ता बताइये कि हमारे हक की हिफ़ाजत कैसे होगी।

श्री उपसभापति : आपने इसके बारे में सवाल उठाया, आपने चेयरमैन को प्रिविलेज का नोटिस भी दिया। उसके बारे में सोच विचार हो रहा है।

श्री राजनारायण : आप जरा हमारी मुसीबत सुनिये। लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बिलकुल बेहुदा ढंग से एक गलत सूचना दे कर के बताया . . .

श्री उपसभापति : राजनारायण जी, अब आप बैठ जाइये।

श्री राजनारायण : मैंने चेयरमैन साहब और सचिव को चिट्ठी लिखी थी। उस पर क्या लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछा गया कि तुम ने यह खबर पहले कैसे दी कि राजनारायण का रिमांड पहली सितम्बर तक बढ़ा दिया गया है और वहां का सिटी मैजिस्ट्रेट जिसकी अदालत में हमारा मुकदमा है वह कहता है, तार देता है कि राजनारायण का रिमांड 10 सितम्बर तक बढ़ा दिया गया है। यह क्या मजाक है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सभा के सचिवालय ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लखनऊ से कोई सफाई मांगी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पहले क्यों पहली सितम्बर लिखा और सिटी मैजिस्ट्रेट ने बाद में क्यों 10 सितम्बर लिखा। इस लिये मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपका सचिवालय इस बात में मिले हुये हैं कि राजनारायण इस सदन में न आ पायें और वह जेल में ही बन्द रहे।

श्री उपसभापति : सचिवालय के अधिकारियों को ऐसा कहना गलत है।

श्री राजनारायण : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम को बताया जाय। मैं आपसे अपील करता हूं, आपको लिख कर के भेजता हूं, आपसे अनुनय विनय करता हूं, आर्जू मिन्नत करता हूं कि आप देखें कि वहां का सिटी मैजिस्ट्रेट लिखता है. . .

श्री उपसभापति : ठीक है, आपने कह दिया और अब आप बैठिये।

श्री राजनारायण : कम से कम जांच तो कीजिये, उनका रिकार्ड तो मंगवाइये। अगर आप अपने सदन के सदस्यों की रक्षा करना नहीं जानते हैं तो हमको अफसोस है, चिंता है . . .

श्री उपसभापति : आप सदन का सम्मान करना पहले जानें।

श्री राजनारायण : सदन का सम्मान जब तक सदस्यों का सम्मान नहीं होगा तब तक कैसे होगा। सदन क्या कोई लकड़ी है। सदन के सम्मान की रक्षा करने का मतलब होगा सदस्यों के सम्मान की रक्षा करना।

श्री उपसभापति : आप सदन के सदस्यों का सम्मान कीजिये ताकि आप का भी सम्मान हो।

श्री राजनारायण : यह पहले दिन हाउस खुला है। हमारे जेल से निकलने के बाद आज पहली मर्तबा यह सदन बैठा है। इसलिये आज ही उचित दिन है . . . .

श्री उपसभापति : आपने 15 मिनट ले लिये।

श्री राजनारायण : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी की लिबर्टी को, किसी के मौलिक अधिकारों को, किसी के स्वतंत्र अधिकार को कत्ल कर दें, उसको जेल में बन्द कर के रख दें और आप उसकी इंक्वायरी भी न करायें, उसकी जांच भी न करायें और फिर भी आप कहें कि हम सदस्यों के सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं कि . . .

SHBI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : Why shovld not an accused be allowed to speak to make his own defence ? Mr. Deputy Chairman, I understand he has raised a question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN ; As I have said, he has raised a question of privilege, it is under consideration.

श्री राजनारायण : यह मैं अपने लिए आपसे कोई रियायत नहीं मांग रहा हूं। हम तो यह संविधान की रक्षा के लिए कह रहे हैं। संविधान की, राष्ट्र की और महात्मा गांधी के सम्मान की रक्षा के लिए कह रहे हैं और आप चाहते हैं कि अंग्रेजी को लाद कर वहां मासूम और गरीब लोगों के हकों को खत्म करें।

SHRI A. P. CHATTERJEE : English may be the language of record.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) : I do not want to discuss. I want to finish this question by just making one suggestion. Mr. Rajnarain has sent a written application to you on which you may make inquiries from the Supreme Court as to what the case is and later on

श्री राजनारायण : मैं ने उन को जेल से लिखा फिर बाहर आकर लिखा, अनुनय की, विनय की, चेयरमैन से टेलीफोन पर बात की और सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों को लिख कर भेजा है और मेरे पास उस की कापी है कि आज देश में संविधान की हत्या की जा रही है। गांधी जी के शब्दों में ये अधिकारी अंग्रेजी भाषा की हिफ़ाजत कर रहे हैं। गांधी जी के शब्दों में सर्वोच्च अदालत के जजेज . . .

श्री उपसभापति : आप ने यह सब बातें कह दी हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं।

श्री राजनारायण : हमारे लिखने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री महावीर त्यागी : उन के लिखने पर कार्यवाही की जाय।

श्री उपसभापति : चेयरमैन साहब से आप मिले हैं। वह इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं।

THE LEADER OF THE OPPO SITION (SHRI S. N. MISHRA) : Sir, only one question that arises out of it is of national importance and we would like some kina of an answer from the Government on ihis point ..... *(Interrup tions)*..... I am not asking for the period for which he was arrested and so on. I am only saying that certain steps have already been taken for the introduction of the national languages in the compti-tive examinations on the all-Tndia level. Certain steps have been taken for the introduction of Hindi which is considered to be the link language. But what steps are being taken for the introduction 01 the link language, that is, Hindi, in *o far as the proceedings of" the Surpreme Court are concerned? We want to know whether any steps arc taken or not. We are not casting any reflections on the Judges, we ate no going to say any thing about the period for which the honourable Member was arrested. Probably the honourable the Deputy Chairman might look into that matter and see whether certain things could be done or not. But that is a matter which is exclusively meant for the court and we cannot encroach upon the jurisdiction of the Court. We would like to be informed w nether some steps are being taken for the introduction of Hindi which is considered }o be the link language so far as the proceedings of the Si preme Coi rt are concerned. This is a matter of rational importance.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं गवर्नमेंट से इस बात का भी जवाब चाहूंगा कि जब यहां पर एक मर्तबा वह मामला 11 जजों की बेंच में चल रहा था, प्रीवी पर्स के संबंध का मामला तो उस केस को एडजर्न कर के क्या नेसेसिटी थी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश साहब लंदन किसी कांग्रेस में चले गये ? मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में कोई सफाई पेश करे।

MOTION FOR EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF THE REPORT OF THE JOINT COMMITTEE OF THE HOUSES ON THE PREVENTION OF WATER POLLUTION BILL 1969

SHRI CHAUDHARY A. MOHAMMAD (Bihar) : Sir, I beg to move—

"That the turn: appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Prevention of Water Pollution Bill, 1969 be extended up to the last day of the first week of the Seventy-fifth (February-March, 1971) Session of the Rajya Sabha."

The question was put and tlte motion was adopted.

I. REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

II. REPORT OF THE COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY, ECONOMIC AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF THE SCHEDULED CASTES —*contd.*

श्री उपसभापति : राजनारायण जी। आपने पिछली बार करीब करीब 36 मिनट लिये हैं।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : तो उससे क्या मतलब ?

श्री उपसभापति : अभी आप पांच सात मिनट ले लें।

श्री राजनारायण : हमको मालूम नहीं कि हम क्या बोले थे, कितना बोल चुके।

श्री गोडे मुराहरि (उत्तर प्रदेश) : उस सेशन में 36 मिनट तो इस सेशन में और 36 मिनट।

सभा के नेता (श्री के० के० शाह) : मेरी प्रार्थना है कि आज राजनारायण जी जो बोले हैं उतना इसमें से कम किया जाय।

श्री राजनारायण : अगर शेड्यूल्ड कास्ट से आप मजाक करना चाहें तो हम नहीं बोलेंगे और अगर कुछ तर्क सुनना चाहेंगे तो सुनिये। उस दिन देखिये मैं जेल से आया था, जहां पर कोई बोलने वाला नहीं था . . .

संसद्-कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : क्यों नहीं था ?

श्री राजनारायण : और मैं क्या बोल चूका हूं यह अब मुझे याद नहीं है। यह 7 तारीख की बात श्रीमन् आप कह रहे हो, उस दिन मैं जेल से आया था और मैं उस दिन क्या बोल चुका हूं मुझे मालूम नहीं।

SHRI K. S. CHAVDA (Gujarat) : Before he speaks, I would like to know how many hours are allotted for this discussion because in the other House 22 hour* were allotted for this.

SHRI OM MEHTA : Six hours have been allotted. To-day has been allotted for it but we can go on for 6 hours if you like.

SHRI K. S. CHAVDA : Twelve hour* should be given.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Last time we discussed this for one day. Today is the second day. We can discus* this to-day and if you want we may continue it tomorrow also.

SHRI K. S. CHAVDA : Suppose this goes on till five, the day will be over.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : When it was decided that we will have for six hours, we will have for six hour*.

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, इसका क्या मतलब है। यहां पर भी इसके